

।।कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक,राजसमन्द(राज0)।।

क्रमांक:न-5()राजस-फोर्स/2025/ 2611

दिनांक:- 03-04-2025

प्रेस-नोट

पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति संख्या 3346 दिनांक 03.08.2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 3665 दिनांक 21.8.2023 के तहत जिला राजसमन्द में कानिस्टेबल सामान्य/कानि. चालक/कानि. घुडसवार के पद पर शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST/PET) का आयोजन महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर में दिनांक 27.12.2023 से 30.12.2023 तक किया गया, जिसमें सफल रहे कानिस्टेबल सामान्य/कानि. चालक/कानि. घुडसवार पद के अभ्यर्थियों की दिनांक 13.06.2024 से 14.06.2024 तक कम्प्युटर आधारित परीक्षा (CBT) परीक्षा आयोजित की गई उक्त परीक्षा में कानिस्टेबल सामान्य/कानि. चालक/कानि. घुडसवार (टीएसपी/नोन टीएसपी) के पद पर भर्ती योग्य चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम राजस्थान पुलिस की वेब साईट www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, साथ ही इस कार्यालय एवं पुलिस लाईन राजसमन्द के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है। परीक्षा परिणाम प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी इस कार्यालय की सूचना को अधिकृत माना जावेगा। पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति के अनिच्छुक/अन्यत्र नियोजन एवं विभिन्न कारणों से नियुक्ति नहीं चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रिक्त रहे पदों पर पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 580 दिनांक 19.02.2025 में दिये गये निर्देशानुसार गठित रिव्यू चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 29.03.2025 को रिव्यू बोर्ड की कार्यवाही कर संशोधित चयन सूची तैयार की गई, जिसमें निम्नांकित 02 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण (दस्तावेज/चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण) हेतु चयन सूची पर लिया गया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 171 दिनांक 31.03.2025 में दिये गये निर्देशानुसार कानिस्टेबल सामान्य के पद पर भर्ती योग्य चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उनका मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन किया जाना है। अतः पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 3346 दिनांक 03.08.2023 के बिन्दु संख्या 14 में वर्णितानुसार समस्त मूल प्रमाण-पत्र मय एक-एक स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति एवं 10 पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो के साथ दिनांक 07.04.2025 को प्रातः 07:00 बजे रिजर्व पुलिस लाईन, राजसमन्द में उपस्थित होना सुनिश्चित करे। इस संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य किसी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा।

चयनित अभ्यर्थियों (कानि. सामान्य) की सूची जिला राजसमन्द(नोन टीएसपी)

S.N.	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE	FATHER'S/HUSBAND NAME	GENDE R	SELECTION
1	1032054	YUVRAJ SINGH RATHORE	JAGPAL SINGH	MALE	EWS-8A

चयनित अभ्यर्थियों (कानि. सामान्य)की सूची जिला राजसमन्द(टीएसपी)

S.NO	ROLL NO.	NAME OF CANDIDATE	FATHER'S/HUSBAND NAME	GENDER	SELECTION
1	1031816	ISHWAR MEENA	GOTAM LAL MEENA	MALE	ST-2

अतः चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार मूल दस्तावेज साथ में लेकर उपस्थिति होंगे।

1. समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
2. जाति प्रमाण पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र

24
1.4.25

4. जन्म तिथि प्रमाण पत्र
5. अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाले शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पुराना नहीं हो तथा रिश्तेदार द्वारा जारी नहीं हो)
6. विवाह पंजियन प्रमाण पत्र,
7. दो फोटो पहचान पत्र
8. आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र (वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर जारी हो)
9. विशेष योग्यता प्रमाण पत्र (एनसीसी, होमगार्ड, डिप्लोमा इत्यादि)
10. दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र
11. दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक जीवित संतान नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
12. एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
13. आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने या सजायाफता नहीं होने संबंधी शपथ पत्र
14. धूम्रपान/तम्बाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र
15. 10 पासपोर्ट साईज के नवीनतम रंगीन फोटो
16. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र
17. यदि अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
18. कानि. चालक पद के अभ्यर्थियों हेतु स्थाई मूल ड्राइविंग लाईसेन्स जो विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम से कम 01 वर्ष पूर्व का जारी हो।

(मनीष त्रिपाठी)

जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ/पालनार्थ

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमन्द।
2. समस्त वृताधिकारी/थानाधिकारी जिला राजसमन्द अपने-अपने क्षेत्र में प्रसारित/प्रचारित करावे।
3. संचित निरीक्षक पुलिस लाईन राजसमन्द परिणाम को नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करे।
4. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजसमन्द को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रेस नोट को समस्त प्रादेशिक/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
5. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा पास भेजकर लेख है कि तत्काल चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द